

फॉर्मफूल परिपत्र संख्या - 1415115 दिनांक 19-01-2015

पत्रसं-ज्वारकमि०(वि०अनु०शा०)मु०-२०/स०प०/धान करापवंचन/14-15/

२५९३

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र०

(वि०अनु०शा०-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक ०८ जनवरी, 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

एडीशनल कमिशनर-ग्रेड-२(वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय से निर्गत परिपत्र संख्या-1466 दिनांक 13-11-2013 एवं परिपत्र संख्या-1526 दिनांक 3-12-2013 का संदर्भ लें जिसके द्वारा धान के सम्बन्धित की प्रभावी जॉच हेतु निर्देश निर्गत करते हुये यह अपेक्षा की गयी थी कि मध्यप्रदेश बिहार तथा दिल्ली राज्यों को गन्तव्य दर्शाते हुये जो धान का परिवहन घोषित किया जा रहा है उसकी गहराई से जाच की जाय।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये थे कि धान पर हो रहे करापवंचन की रोकथाम हेतु परिवहित किये जा रहे धान के वाहनों की अधिक से अधिक जॉच कराते हुये बिलों का संग्रहण किया जाय तथा उसकी तत्काल आनलाइन फीडिंग की जाय। करनिर्धारण अधिकारियों से ऐसे बिलों का तत्काल सत्यापन कराते हुये अनियमितता पाये जाने पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करायें। मण्डी समिति से भी सूचना संकलित करते हुये तथा मण्डियों की जॉच करते हुये एवं रेलवे से भेजे जाने वाले माल की भी सूचना संकलित करते हुये अनियमितता पाये जाने पर प्रभावी कार्यवाही कराई जाय। प्रवर्तन इकाईयों को इस संबंध में दक्षता से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आये है कि मुख्यालय द्वारा धान के संबंध में पूर्व में निर्गत निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है न तो निर्देशानुसार सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं और न ही उनके अनुरूप जॉच कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि धान के मूवमेण्ट की उक्त परिप्रेक्ष्य में गहनता से जॉच कराया जाना सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना से मुख्यालय को भी अवगत करायें। वि०अनु०शा० एवं सचलदल अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों की मासिक सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मुख्यालय के वि०अनु०शा० एवं सचल दल अनुभाग को प्रथक-प्रथक रूप से निर्धारित प्रारूप में भेजना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक :: निर्धारित प्रारूप

०८/०१/१५

(बी०राम शास्त्री)

एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

धान की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारूप-1)

सचलदल इकाईयों एवं एतदर्थ अधिकृत कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वाहनों की जांच

दिनांक से तक की संकलित सूचना

क्र0 सं0	जोन का नाम	चेक किये गये वाहनों की संख्या	दोषी वाहनों की संख्या	अभिग्रहीत माल का मूल्य	जमानत / अर्धदण्ड की धनराशि	कुल गेटपास 9आर / 6आर एकत्रित किये गये
1	2	3	4	5	6	7

धान की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारूप-2)

जोन में स्थित करनिधीरण अधिकारियों / विभागों द्वारा मंडियों की जांच

दिनांक से तक की संकलित सचना

क्रम संख्या	जोन का नाम	कुल मंडियों की संख्या	मंडी का नाम जिसमें जांच की गयी	कितने व्यापारियों की जांच की गयी	कितने मामलों में प्रतिकूल तथ्य पाये गये	अपवर्चित धनराशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5	6	7

धान की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारूप-3)

जोन में रेलवे से पेशित किये जाने वाले माल की जांच का विवरण। (विअनाशा)कर निर्धारण

अधिकारियों द्वारा)

दिनांक से

तक की संकलित सचना

क्र0 सं0	जोन का नाम	रेलवे स्टेशन का नाम	व्यापारी द्वारा नाम व पता जिसके नाम रेलवे बैगन/ बाक्स आवंटित हुआ	व्यापारी का नाम व पता जिसके द्वारा वास्तविक रूप से माल भेजा गया	माल की मात्रा कुन्टल में / कीमत रु0 लाख में	तिथि	जांच का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

धान की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारूप-4)

जोन में स्थित राइस मिलों की जांच। (विधि अनुशासन कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा)

दिनांक से

तक की संकलित सूचना

क्र0 सं0	जोन का नाम	कुल राइस मिलों की संख्या	कितनी राइस मिलों की जांच की गयी	जांच का परिणाम	जांच हेतु अवशेष राइस मिलों की संख्या
1	2	3	4	5	6